67

GOVERNMENT OF INDIA/BHARAT SARKAR MINISTRY OF RAILWAYS/RAIL MANTRALAYA (RAILWAY BOARD)

No. E(NG)I-2000/PM10/2

The General Managers (P)
All Indian Railways and
Production Units.
(As per standard list)

Sub:- Filling up of the posts of Dresser Gr.III/Operation Theatre Assistant Gr.III in the PB-1 Rs.5200-20200 GP Rs.1900 in the medical department.

Attention is invited to Board's letter of even number dated 28.07.2004 by which, in addition to two chances given earlier vide Board's letter of same number dated 30.03.2001 and 06.09.2001, third chance was given to the existing Hospital Attendants and other Group 'D' staff who are otherwise eligible as per provisions of IREM to appear in the selections without insisting the condition of qualification of Matriculation prescribed for promotion as Dresser Gr.III/OTA Gr.III.

2. In the PNM/NFIR meeting held on 27th and 28th December, 2010, the Federation demanded to review the condition of matriculation to enable the experienced staff to get a chance of promotion. The matter has accordingly been considered by the Board and, in partial modification of Board's letter dated 28.07.2004, it has been decided that the existing staff as on 10.05.1998 may be given one more chance to appear in the selection to be held for promotion to the post of Dresser Gr.III/OTA Gr.III without insisting on the condition of qualification of Matriculation as a special case. With this relaxation, the existing staff has been given four opportunities to appear in the selection in question.

Please acknowledge receipt.

(M.K. Meena)
Dy. Director Estt. (N)
Railway Board

nway

भारत सरकार रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं. ई (एनजी)1/2000/पीएम10/2

नई दिल्ली, दिनांक: 28 .02.2011

महाप्रबंधक (कार्मिक), सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां।

> विषयः चिकित्सा विभाग में पीबी-1 ₹ 5,200-20,200/- ग्रेड पे ₹ 1900 में ड्रेसर ग्रेड-Ⅲ/ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट ग्रेड-Ш के पद भरना।

बोर्ड के दिनांक 28.07.2004 के समसंख्यक पत्र की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसके द्वारा बोर्ड के दिनांक 30.03.2001 तथा 06.09.2001 के इसी संख्या के पत्र द्वारा पहले दिए गए दो अवसरों के अतिरिक्त मौजूदा हॉस्पिटल अटेंडेंटों तथा ग्रुप 'डी' के अन्य कर्मचारियों जो भारतीय रेल स्थापना नियमावली के प्रावधानों के अनुसार अन्यथा पात्र हैं, को ड्रेसर ग्रेड-धार/ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट ग्रेड-धार के रूप में पदोन्नति के लिए निर्धारित मैट्रिक की अर्हता की शर्त पर ध्यान दिए बिना चयन में भाग लेने के लिए तीसरा अवसर दिया गया था।

2. 27 तथा 28.12.2010 को संपन्न पीएनएम/एनएफआईआर की बैठक में फेडरेशन ने मांग की कि मैट्रिक की शर्त की समीक्षा की जाए तािक अनुभवी कर्मचािरयों को पदोन्नित का अवसर मिल सके। तदनुसार, बोर्ड द्वारा मामले पर विचार किया गया है तथा बोर्ड के दिनांक 28.07.2004 के पत्र में आंशिक आशोधन करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि 10.05.1998 को मौजूदा कर्मचािरयों को विशेष मामले के रूप में मैट्रिक की अर्हता की शर्त पर ध्यान दिए बिना ड्रेसर ग्रेड-III/ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट ग्रेड-III के पद पर पदोन्नित के लिए संपन्न किए जाने वाले चयन में भाग लेने के लिए एक और अवसर दिया जाए। इस छूट से, मौजूदा कर्मचािरयों को प्रश्नगत चयन में भाग लेने के लिए चार अवसर दिए गए हैं।

कृपया पावती दें।

पुर्भाष्य (एम.के. मीना) उप निदेशक, स्थापना (अराज) रेलवे बोर्ड